बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015

दिनांक 12.06.2015

प्रेस–विज्ञप्ति

- बिहार विधान परिषद् के 24 (चौबीस) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों का कार्यकाल 16.07.2015 को समाप्त हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत प्रेस–नोट के आलोक में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना दिनांक 11.06.2015 को निर्गत कर दी गयी है।
- स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक मंडल (Electoral College) में निर्वाचित एवं पदेन सदस्य निर्वाचक होते हैं। निर्वाचित एवं पदेन सदस्य से संबंधित प्राधिकारों की विवरणी निम्न प्रकार है :–
  1. नगर निगम – निर्वाचित वार्ड पार्षद एवं पदेन सदस्य।
  2. नगर परिषद – निर्वाचित वार्ड पार्षद एवं पदेन सदस्य।
  3. नगर पंचायत – निर्वाचित वार्ड पार्षद एवं पदेन सदस्य।
  4. छावनी परिषद – निर्वाचित वार्ड पार्षद एवं पदेन सदस्य।
  5. जिला परिषद – निर्वाचित सदस्य एवं पदेन सदस्य।
  6. पंचायत समिति – निर्वाचित सदस्य एवं पदेन सदस्य।
  7. ग्राम पंचायत – मुखिया निर्वाचित, निर्वाचित वार्ड सदस्य एवं पदेन सदस्य।
- **स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार फोटोयुक्त निर्वाचक सूची तैयार की गयी है जिसके आधार मतदान सम्पन्न होगा।**
- **24–स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारी के रूप में जिला पदाधिकारी,** पटना, नालन्दा, गया, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, सहरसा, भागलपुर, मधुबनी, पूर्णिया एवं कटिहार अधिसूचित हैं।
- **प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन में प्रखंड विकास पदाधिकारी पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं।**
- **भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय श्रेणी के पदाधिकारी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में प्रेक्षक के रूप में नियुक्त होंगे।**
- **सभी मतदान केन्द्रों पर माइक्रो ऑब्जर्बर नियुक्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय प्रतिष्ठानों के कर्मी होंगे।**
- **प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।**

- निर्वाचकों को पहचान स्थापित किये जाने हेतु फोटो पहचान पत्र (EPIC) या कोई भी फोटोयुक्त दस्तावेज या स्थानीय प्राधिकार द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त दस्तावेजों के माध्यम से ही निर्वाचक को मतदान की सुविधा प्राप्त होगी।
- मतदान प्रक्रिया के दौरान मोबाईल फोन, डिजिटल कैमरा, पैन कैमरा आदि का प्रयोग वर्जित है।
- स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपयोग किये जाने वाले मतपत्रों में निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों के छायाचित्र भी अंकित होंगे। भारत निर्वाचन आयोग का यह निदेश पहली बार स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में लागू होगा।
- **मतदान के लिये सिर्फ बैंगनी (Violet) स्केच पेन, जो मतपत्र के साथ ही दी जायेगी, का उपयोग किया जाना है। अन्य कोई भी कलम या पेंसिल या बॉलपेन का इस्तेमाल अवैध है।**
- अभ्यर्थी के नाम के सामने स्थित अधिमानता क्रम (Order of preference) वाले स्तंभ में अपने पहले पसंद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिखकर मतदान करना है।
- चुने जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक रहने पर भी अंक '1' सिर्फ एक ही अभ्यर्थी के सामने अंकित किया जायेगा।
- निर्वाचित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की अपेक्षा किये बिना मतदाता के पास उतनी अधिमानतायें हैं जितने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी।
- शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के लिये अपनी अगली अधिमानतायें बाद के अंकों 2, 3, 4 आदि के रूप में अपनी अधिमानता के आधार पर अंकित किया जा सकता है।
- किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करना है। समान अंक एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने नहीं अंकित किया जाना चाहिये।
- अधिमानता केवल अंको में जैसे 1, 2, 3 आदि में अंकित किया जायेगा। अधिमानता शब्दों में जैसे एक, दो, तीन आदि में अंकित नहीं किया जायेगा।
- अंको को भारतीय अंक के अंतर्राष्ट्रीय रूप जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि, या रोमन रूप I, II, III आदि या संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में अंकित किया जा सकता है।
- मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या आद्याक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखें। अपने अंगूठे का निशान भी नहीं देना है।
- अपनी अधिमानता दर्शाने के लिये सही का निशान "✓" या क्रॉस का निशान "X" अंकित नहीं करें। ऐसे मतपत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
- अपने मतपत्र को वैध बनाने के लिये आपको किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक 1 अंकित करना चाहिये। अन्य अधिमानतायें केवल ऐच्छिक हैं अनिवार्य नहीं।

****

"मजबूत लोकतंत्र – सबकी भागीदारी"